संशोधन

संख्या: 16/18/366/छप्पन-2018-41/11

प्रेषक,

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ, दिनांक: 23 फरवरी, 2018

विषय: श्री पंकज सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग) के सेवामुक्त किए जाने सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संविदा अवधि बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-13/2018/291/छप्पन-2018-41/11 दिनांक 13 फरवरी, 2018 द्वारा श्री पंकज सिंह, पायलट (फिक्स्ड विंग) के सेवामुक्त किए जाने सम्बन्धी आदेश को निरस्त कर संविदा अवधि बढ़ाई गई है, को निम्नलिखित सीमा तक संशोधित समझा जाए:-

"श्री पंकज सिंह की संविदा अवधि सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत् जारी रहेंगी।"

भवदीय,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव|

पृ0संख्या:- 16/18/366(1)/छप्पन-2018-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- कार्मिक अनुभाग-1
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in